आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय,गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **Mutation Revision**–02/2023 दीपक कुमार साहू–बनाम–विजय कुमार मण्डल	आदेश प गई कार्रव बारे मे ि तिथि सहि
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	

03.01.25

अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। प्रस्तुत **Mutation Revision 02/2023** वाद अंचल अधिकारी, गिरिडीह के यहाँ संधारित नामांतरण वाद सं0 R27/2020–2021 में दिनांक–25.03.2021 को पारित आदेश तथा इससे उद्भूत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में संचालित ऑनलाईन दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 17/2021–22 विजय कुमार मण्डल बनाम राज्य में दिनांक 24.11.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेज, निम्न न्यायालय अभिलेख एवं आदेश के अवलोकन तथा परीशीलन के उपरांत निम्न तथ्य परिलक्षित होता है:–

1. भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 17/2021–22 विजय कुमार मण्डल बनाम राज्य में दिनांक 24.11.2022 को पारित आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि द्वितीय पक्ष दीपक कुमार साहू को कई बार नोटिस निर्गत करने एवं Speed Post से उनके पते पर नोटिस भेजे जाने पर भी न तो स्वयं और न ही वकालतन न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही उनके द्वारा जवाब दाखिल किया गया।

   उपरोक्त तथ्य यह दर्शाता है कि आवेदक दीपक कुमार साहू द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह के न्यायालय में संचालित वाद में अनुपस्थित रहकर उसी अवधि में अंचल अधिकारी के न्यायालय में नामांतरण वाद दायर किया गया, जो स्थापित नियमों के विरूद्ध है।
2. आवेदक दीपक कुमार साहू द्वारा न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेज/तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया की किस परिस्थिति और कारण से 1983 एवं 1985 में उनके द्वारा खरीद की गई जमीन का दाखिल–खारीज/लगान रसीद निर्गत कराने हेतु कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई ।
3. भूमि सुधार उपसमार्त्ता, गिरिडीह के पत्रांक 63 दिनांक 17.02.2023 में उल्लेख है कि आपके (अंचल अधिकारी, गिरिडीह) द्वारा नामांतरण वाद सं0 815/2022–23 में पारित

आदेश को खारिज करते हुए इस(भूमि सुधार उपसमार्त्ता) न्यायालय द्वारा अपील वाद सं0 17/2021–22 एवं 28/2021–22 में पारित आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

–: आदेश :–

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा ऑनलाईन दाखिल–खारीज अपील वाद सं0 17/2021–22 विजय कुमार मण्डल बनाम राज्य में दिनांक 24.11.2022 को पारित आदेश से संतुष्ट होते हुए, Revisionist के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। आवेदक सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।
आदेश की प्रति उभय पक्षों को उपलब्ध करायी जाय।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

03/01/25 — उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

03/01/25 — उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

ज्ञापांक 06 न्या0 दिनांक 03/01/25

प्रतिलिपिः–भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः–अंचल अधिकारी, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/25 — उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

03/01/25 — उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह।

Digitally signed by Naman Priyesh Lakra
Date: 2025.01.11 18:16:02 +05:30
Location: 192.168.0.123